न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

दावा सं0 — 14/2015

प्रविष्टि दिनांक — 26.2.2015

रामस्वरूप पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली, छावनी टोंक हाल गोकूलधाम कॉलोनी , रेगरो की बस्ती छावनी टोंक

–वादी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद, जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
2. फूला पत्नी रामप्रसाद जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
3. गोपाल पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
4. रविन्द्र पुत्र लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
5. मुन्नीदेवी पत्नी लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
6. उषा पुत्री लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
7. संगीता पुत्री लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
8. प्रहलाद पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
9. रतन पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
10. अगूंरी पुत्री गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
11. छोटा पुत्री गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
12. प्रेम पुत्री गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
13. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री पवन कुमार जैन – वकील वादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी तथा दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

दिनांक–25/10/17

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबतघोषणा खातेदारी तथा दुरूस्ती इन्द्राज मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ख.न. 602 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 605 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा 18 वाके ग्राम धोलाखेडा तहसील टोंक मे स्थित है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 12 का हिस्सा 8/9 है तथा शेष हिस्सा 1/9 अन्य का है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 12 जाति से यादव है। परन्तु जमाबंदी मे इनकी जाति सहवन से यादव के स्थान पर गडरिया अंकित कर दिया। जो कि त्रुटिपूर्ण है। पक्षकारान की धोलाखेडा के अतिरिक्त कस्बा टोंक मे भूमि ख.न. 6130/1 6142 किता–2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा है। उसमे पक्षकारान की जाति यादव अंकित है। पक्षकारान की राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड , आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि मे जाति यादव ही अंकित है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 12 के नाम कोई भी व्यक्ति छावनी टोंक मे गडरिया नही है बल्कि यादव है। अतः उक्त भूमि मे पक्षकारान की जाति यादव अंकित करवाई जावे तथा इनकी जाति त्रुटिपूर्ण गडरिया अंकित है, उसे जमाबंदी से हटाया जावे। जमाबंदी मे जाति यादव अंकित करवाई जाकर खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे। रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अधिवक्ता वादी ने रामस्वरूप पुत्र गोकुल जाति यादव पी.डब्ल्यू –1, मोहनसिंह पुत्र सूरज सिंह जाति मराठा पी.डब्ल्यू–2, रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति वर्मा पी.डब्ल्यू–3, के बयान करवाये गये जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबदी संवत 2069–72 जमाबंदी संवत 2066–69 ग्राम कस्बा शर्की टोंक आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में तहसीलदार टोंक से रिपोर्ट प्राप्त की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट अुनसार मौके पर जाकर जानकारी कीगई प्राप्त जानकारी अनुसार खातदेार रामप्रसाद गोपाल आदि निवासी छावनी की वास्तविक जाति यादव है खातेदारो की भूमि कस्बा टोंक मे भी जिसमे जाति यादव अंकित हैं। वादी की जाति यादव बताई जो सही है।

इसके पश्चात प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–72 मे अंकितानुसार उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी का उपस्थित नही होना वाद पत्र के तथ्यो की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारो की जाति त्रुटिवर्श यादव के स्थान पर गडरिया अंकित हो गई। स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू–2 के बयानो के अनुसार गवाह पक्षकारो का जानता है। इनकी खातेदारी की भूमि धोलाखेडा व कस्बा शर्की टोंक मे स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इनकी जाति यादव है राजस्व रिकार्ड मे गडरिया के स्थान पर यादव अंकित किया जावे तथा अन्य स्वतंत्र गवाह रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति वर्मा पी.डब्ल्यू–3, मे भी उक्त बयानो की पुनरावृति है। अतः साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे वाद दुरूस्ती योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी बाबत घोषणा खातदेारी व दुरूस्ती इन्द्राज ख.न. 602 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 605 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेडा तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर, उक्त भूमि मे पक्षकारान खातेदारो की जाति गडरिया के स्थान पर यादव अंकित किये जाने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना की जाकर, पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक ..25/10/17.. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

प्रकरण सं0–14/2015

उनवान

रामस्वरूप पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली, छावनी टोंक हाल गोकूलधाम कॉलोनी , रेगरो की बस्ती छावनी टोंक

–वादी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र रामप्रसाद, जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
2. फूला पत्नी रामप्रसाद जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
3. गोपाल पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
4. रविन्द्र पुत्र लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
5. मुन्नीदेवी पत्नी लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
6. उषा पुत्री लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
7. संगीता पुत्री लाला जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
8. प्रहलाद पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
9. रतन पुत्र गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
10. अगूंरी पुत्री गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
11. छोटा पुत्री गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
12. प्रेम पुत्री गोकुल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 34 गंगाधर की गली छावनी टोंक
13. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री पवन कुमार जैन – वकील वादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी तथा दुरूस्ती इन्द्राज

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि **वाद वादी बाबत घोषणा खातदेारी व दुरूस्ती इन्द्राज ख.न. 602 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 605 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेडा तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर, उक्त भूमि मे पक्षकारान खातेदारो की जाति गडरिया के स्थान पर यादव अंकित किये जाने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना की जाकर, पालना से अवगत करावे।**

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज **तारीख 25.10.2017** को जारी किया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	शून्य	शून्य
मीज़ान			मिज़ान		

उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner